संख्या-518/2017/982/22-2-2017-17(147)/2004

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊः दिनांक 30 जून, 2017***

विषयः- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अनिल कुमार पुत्र श्री अक्षय कुमार निवासी जनपद-कन्नौज की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-15999-16004/प्रोबेशन-3(एम-02-05-2017) दिनांक-18-05-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अनिल कुमार पुत्र श्री अक्षय कुमार, निवासी-तारमऊ गढी, थाना व जनपद-कन्नौज का रहने वाला है। बन्दी ने वादी एवं ग्राम प्रधान के घर के सामने की जमीन में रास्ते को लेकर दिनांक 27.02.1980 को दोपहर लगभग 03:00 बजे 02 सहअभियुक्तो के साथ मिलकर बन्दूक से फायर कर कुंजीलाल एवं कालीचरन नामक 02 व्यक्तियों की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-145/1982, में भा0द0वि0 की धारा-302, 302/34 के अन्तर्गत मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 29.01.1986 द्वारा दोषमुक्त किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.02.1999 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 16.09.2004 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 06.12.2016 तक 14 वर्ष 00 माह 00 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 10 माह 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने वादी एवं ग्राम प्रधान के घर के सामने की जमीन में रास्ते को लेकर दिनांक 27.02.1980 को दोपहर लगभग 03:00 बजे 02 सहअभियुक्तो के साथ मिलकर बन्दूक से फायर कर कुंजीलाल एवं कालीचरन नामक 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्यतम अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का विवाद समाप्त न होने, मृतक परिवार में रोष व्याप्त होने, किसी अप्रिय घटना से इन्कार न होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने 05 बिन्दुओं की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता एवं जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अनिल कुमार पुत्र श्री अक्षय कुमार को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- इसी प्रकरण में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित क्रिमिनल रिट याचिका सं0-09/2017 अनिल कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.04.2017 के अनुपालन तथा उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी अनिल कुमार (बन्दी संख्या-19393) पुत्र श्री अक्षय कुमार निवासी जनपद-कन्नौज के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-518/2017/982(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-518/2017/982/22-2-2017-17(147)/2004

दिनांक 30 जून, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अनिल कुमार पुत्र श्री अक्षय कुमार, निवासी-तारमऊ गढी, थाना व जनपद-कन्नौज का रहने वाला है। बन्दी ने वादी एवं ग्राम प्रधान के घर के सामने की जमीन में रास्ते को लेकर दिनांक 27.02.1980 को दोपहर लगभग 03:00 बजे 02 सहअभियुक्तो के साथ मिलकर बन्दूक से फायर कर कुंजीलाल एवं कालीचरन नामक 02 व्यक्तियों की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-145/1982, में भा0द0वि0 की धारा-302, 302/34 के अन्तर्गत मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 20.01.1986 द्वारा दोषमुक्त किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.02.1999 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 16.09.2004 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 06.12.2016 तक 14 वर्ष 00 माह 00 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 10 माह 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने वादी एवं ग्राम प्रधान के घर के सामने की जमीन में रास्ते को लेकर दिनांक 27.02.1980 को दोपहर लगभग 03:00 बजे 02 सहअभियुक्तो के साथ मिलकर बन्दूक से फायर कर कुंजीलाल एवं कालीचरन नामक 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्यतम अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का विवाद समाप्त न होने, मृतक परिवार में रोष व्याप्त होने, किसी अप्रिय घटना से इन्कार न होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने 05 बिन्दुओं की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता एवं जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अनिल कुमार पुत्र श्री अक्षय कुमार को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in